

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक : एफ 4-19/2017/55-2

भोपाल, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018

प्रति,

आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा,
मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

विषय :- शासकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक व्यवस्था का सृष्टीकरण।
सन्दर्भ :- संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा की टीप क्रमांक 1468-A/विविध/20/2018
दि. 20 सितम्बर, 2018.

संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
आवक क्रमांक 4408
दिनांक 11-10-18
शाखा का नाम चिकित्सा शिक्षा
दिनांक

राज्य शासन एतद्वारा शासकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक व्यवस्था के सृष्टीकरण हेतु दिनांक 13.06.2017 को स्वीकृत 323 पदों में से वित्तीय अधिकारी के 06 पद छोड़कर 317 पद समाप्त करते हुए एकमुश्त मासिक वेतन पर निम्न 46 नवीन पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्रमांक	पदनाम	औचित्य	पद संख्या	राशि
01	उप रजिस्ट्रार	प्रत्येक कॉलेज में अकादमिक कार्यों के लिए	14	60,000
02	अस्पताल प्रबंधक	चिकित्सालय के प्रबंधकीय कार्यों में अधीक्षक की सहायता के लिए (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, रतलाम, विदिशा एवं शिवपुरी प्रत्येक चिकित्सालय हेतु एक पद)	9	60,000
03	अस्पताल सहायक प्रबंधक	अस्पताल सहायक प्रबंधक की सहायता के लिए (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा प्रत्येक चिकित्सालय हेतु दो पद एवं सागर, रतलाम, विदिशा एवं शिवपुरी प्रत्येक चिकित्सालय हेतु एक पद)	14	40,000
04	बायोमेडिकल इंजीनियर	चिकित्सा उपकरणों के रख रखाव एवं चिकित्सालय से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के विनिष्टीकरण के कार्य हेतु (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, रतलाम, विदिशा एवं शिवपुरी प्रत्येक चिकित्सालय हेतु एक पद)	9	60,000
		योग	46	

1064

- 2/- एकमुश्त मासिक वेतन में प्रतिवर्ष 01 जुलाई से निम्नानुसार वृद्धि देय होगी :-
(i) वार्षिक वृद्धि 2% की दर से ; एवं
(ii) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में वृद्धि के समतुल्य वृद्धि।
3/- यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 49 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में जारी की गई है।
4/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 136/सीअर/808/व-6 दिनांक 06/10/2018 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(शर्मिला ठाकुर)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन


चिकित्सा शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018

पृ. क्रमांक एफ 4-19/2017/55-2

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को भेजने हेतु आदेश की दो अतिरिक्त प्रतियाँ संलग्न हैं।
 2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, भोपाल ।
 3. आयुक्त, संभाग भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/सागर/रीवा, मध्यप्रदेश ।
 4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
 6. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
 7. गार्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग